संख्या–भा0स0–09 / 14–2–2017–800 (193) / 2016

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह
अनुसचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 19 जनवरी 2017**

विषयः– गाजियाबाद में दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस–वे (ग्रीन फील्ड परियोजना) के निर्माण हेतु 14.018 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 2633 वृक्षों व 7884 पौधों के पातन, 1.035 हे0 संरक्षित वन भूमि व उस पर अवस्थित 127 वृक्षों व 287 पौधों के पातन कुल 15.053 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 10931 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या–1495 / गाजियाबाद / 10947 / 2015, दिनांक 13.01.2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में प्रस्ताव की मूल प्रति प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी है। भारत सरकार के उक्त वर्णित पत्र दिनांक 11–01–2017 के साथ प्रस्ताव शासन में प्राप्त नहीं हुआ है।

2– इस सम्बंध में अवगत कराया जाना है कि भारत सरकार के उक्त वर्णित पत्र दिनांक 11–01–2017 के साथ संलग्न प्रस्ताव शासन में प्राप्त नहीं हुआ है। विषयगत प्रस्ताव से सम्बंधित शासन में उपलब्ध (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र दिनांक 11–01–2017 में उल्लिखित 12 बिन्दुओं पर बिन्दुवार कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव (02 प्रतियों में) यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि 01 प्रस्ताव।

भवदीय,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।